



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 कार्तिक 1934 (श0)
(सं0 पटना 587) पटना, वृहस्पतिवार, 1 नवम्बर 2012

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
अधिसूचना
30 जनवरी 2012

सं0 जी०सां०का०-03/2004/151—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-4 की उप-धारा (2) एवं धारा-7 की उप-धारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत कार्यरत आँगनबाड़ी सेविकाओं को उनके पोषक क्षेत्र में 21 दिनों के अन्दर घटित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण करने हेतु, संबंधित पंचायत सचिव-सह-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के नियंत्रणाधीन उप-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त करती है। यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 587-571+11000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>